भारतीय प्रबंधन संस्थान, रायपुर

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के विरुद्ध शिकायतों से निपटने के लिए दिशानिर्देश ।

सामान्य: -

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करने तथा यौन उत्पीड़न की शिकायतों और उससे संबंधित मामलों की रोकथाम एवं निवारण के उद्देश्य से केन्द्र सरकार ने हाल ही में "कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013" अधिनियमित किया है।

यौन उत्पीड़न में इस प्रकार का अवांछित यौन व्यवहार शामिल है (चाहे प्रत्यक्ष रूप से या निहितार्थ रूप में) जैसे:

क) शारीरिक संपर्क और अग्रिम

ख) यौन संबंधों की मांग या अनुरोध

ग) यौन रंजित टिप्पणियाँ

घ) अश्लील साहित्य दिखाना

ई) यौन संबंधी कोई अन्य अवांछित शारीरिक, मौखिक या अशाब्दिक आचरण प्रकृति।

ऐसे कई उदाहरण हो सकते हैं, जब पीड़ित महिला को यह आशंका और विश्वास करने का उचित आधार हो सकता है कि ऊपर परिभाषित यौन उत्पीड़न के कृत्यों पर उसकी आपत्ति से उसके रोजगार के संबंध में उसे नुकसान होगा और यदि पीड़िता ऐसी अवांछित यौन प्रेरित पहल या व्यवहार के लिए सहमति नहीं देती है, तो उसे प्रतिकूल परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं।

विशाखा एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य मामले में अपने फैसले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने प्रत्येक नियोक्ता और अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों के लिए न्यायालय द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन करना और कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से निपटने के लिए एक विशिष्ट नीति विकसित करना अनिवार्य बना दिया है। सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों के साथ-साथ भारत सरकार द्वारा हाल ही में पारित अधिनियम के अनुपालन में, IIM रायपुर कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकने, निषिद्ध करने और दंडित करने के लिए निम्नलिखित को अपनाएगा। संस्थान अपने शैक्षणिक, गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों और छात्रों सहित अपने संस्थान में आने वाली सभी महिलाओं को कार्यस्थल और अध्ययन पर यौन उत्पीड़न, धमकी और शोषण से मुक्त वातावरण प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

इस दायित्व की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना निम्नलिखित अनुदेश जारी किए जाते हैं।

क. कार्यस्थल पर ऊपर परिभाषित यौन उत्पीड़न का स्पष्ट प्रतिषेध।

ख. आईआईएम रायपुर के आचरण और अनुशासन से संबंधित नियमों/विनियमों में यौन उत्पीड़न पर रोक लगाने वाले नियम/विनियम शामिल होंगे और ऐसे नियमों में अपराधी के खिलाफ उचित दंड का प्रावधान होगा।

(ग) कार्य, अवकाश, स्वास्थ्य और स्वच्छता के संबंध में उचित कार्य स्थितियां प्रदान की जाएंगी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कार्यस्थलों पर महिलाओं के प्रति कोई प्रतिकूल वातावरण न हो और किसी भी महिला कर्मचारी के पास यह मानने के लिए उचित आधार न हो कि उसके रोजगार के संबंध में उसे कोई असुविधा हो रही है।

d. आपराधिक कार्यवाही: जहां ऐसा आचरण भारतीय दंड संहिता या किसी अन्य कानून के तहत किसी विशिष्ट अपराध के बराबर है, नियोक्ता को उचित प्राधिकारी के पास शिकायत दर्ज करके कानून के अनुसार उचित कार्रवाई शुरू करनी चाहिए। विशेष रूप से, उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यौन उत्पीड़न की शिकायतों से निपटने के दौरान पीड़ितों या गवाहों को पीड़ित या भेदभाव नहीं किया जाए। यौन उत्पीड़न के पीड़ितों के पास अपराधी के स्थानांतरण या अपने स्वयं के स्थानांतरण की मांग करने का विकल्प होना चाहिए।

ई. अनुशासनात्मक कार्रवाई: जहां ऐसा आचरण प्रासंगिक सेवा नियमों द्वारा परिभाषित रोजगार में कदाचार के बराबर हो, तो नियोक्ता द्वारा उन नियमों के अनुसार उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जानी चाहिए।

च. तृतीय पक्ष द्वारा उत्पीड़न: जहां यौन उत्पीड़न किसी तृतीय पक्ष या बाहरी व्यक्ति के कृत्य या चूक के परिणामस्वरूप होता है , वहां नियोक्ता और प्रभारी व्यक्ति प्रभावित व्यक्ति को सहायता और निवारक कार्रवाई के संदर्भ में सहायता करने के लिए सभी आवश्यक और उचित कदम उठाएंगे।

यौन उत्पीड़न पर आईआईएम रायपुर समिति का गठन-

समिति में निम्नलिखित शामिल होंगे:

1. दो संकाय सदस्य.
2. स्टाफ का एक सदस्य
3. राज्य महिला आयोग की अनुशंसा पर महिला हितों में योगदान देने वाली बाहर से एक महिला।
4. एक अतिरिक्त बाहरी सदस्य, अधिमानतः किसी सरकारी शैक्षणिक संस्थान से।
5. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी सदस्य सचिव के रूप में

टिप्पणी-

1. महिला सदस्य समिति की अध्यक्ष होंगी।
2. समिति के 50 प्रतिशत सदस्य महिलाएं होंगी।

3. संस्थान के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी समिति के सदस्य-सचिव होंगे।

4. कोई भी व्यक्ति जो उत्पीड़न शिकायत में शिकायतकर्ता, गवाह या प्रतिवादी है, समिति का सदस्य नहीं होगा।

इस आदेश के तहत परिकल्पित और गठित यौन उत्पीड़न के खिलाफ समिति को सीसीएस नियमों के प्रयोजनों के लिए एक जांच प्राधिकरण माना जाएगा और यौन उत्पीड़न के खिलाफ समिति की रिपोर्ट को सीसीएस (सीसीए) नियमों के तहत एक जांच रिपोर्ट माना जाएगा। अनुशासनात्मक प्राधिकारी यौन उत्पीड़न के खिलाफ समिति की रिपोर्ट पर नियमों के अनुसार कार्रवाई करेगा।

प्रक्रिया - यदि आप आईआईएम रायपुर में कार्यरत एक महिला हैं और नीचे दिए गए किसी भी रूप में आपका यौन उत्पीड़न किया गया है:

(क) शारीरिक संपर्क और प्रगति।

(ख) यौन संबंधों की मांग या अनुरोध।

(ग) यौन रंजित टिप्पणियाँ।

(घ) अश्लील साहित्य दिखाना।

(ई) यौन प्रकृति का कोई अन्य अवांछित शारीरिक, मौखिक या गैर-मौखिक आचरण।

और यह मानने का उचित आधार है कि विशाखा दिशानिर्देशों में परिभाषित अनुसार कार्यस्थल पर उसके साथ कोई अवांछित कृत्य हुआ है, वह आईआईएम रायपुर के निदेशक या समिति के किसी सदस्य को या मौजूदा चैनल के माध्यम से शिकायत दर्ज करा सकती है। शिकायत दर्ज करने से शिकायतकर्ता की स्थिति/नौकरी/वेतन/पदोन्नति/ग्रेड आदि पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि वह जांच कराना चाहती है तो उसे लिखित में व्यक्तिगत रूप से शिकायत दर्ज करानी होगी। यह स्पष्ट किया जाता है कि यह महिलाओं की उचित धारणा है जो यह निर्धारित करने में प्रासंगिक होगी कि क्या कोई आचरण यौन रूप से निर्धारित था और यदि ऐसा है तो क्या ऐसा आचरण अवांछित था या नहीं और उसकी आपत्ति से उसकी शिक्षा या रोजगार के संबंध में उसे नुकसान होगा जिसमें मूल्यांकन, ग्रेडिंग, भर्ती या पदोन्नति शामिल है या जब यह प्रतिकूल कामकाजी, शैक्षिक या रहने का माहौल बनाता है।

यौन उत्पीड़न के विरुद्ध शिकायत को समिति के सदस्य सचिव को भेजा जाएगा ताकि समिति के अध्यक्ष के परामर्श से समिति की बैठक बुलाई जा सके।

समिति द्वारा की जाने वाली कार्रवाई:

यदि यौन उत्पीड़न के विरुद्ध समिति किसी शिकायत की जांच न करने का निर्णय लेती है तो वह समिति की बैठक के कार्यवृत्त में इसके कारणों को दर्ज करेगी। समिति इसे लिखित रूप में शिकायतकर्ता को उपलब्ध कराएगी।

यदि समिति इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि प्रतिवादी का आचरण भारतीय दंड संहिता या किसी अन्य कानून के अंतर्गत विशिष्ट अपराध के बराबर है, तो नियोक्ता शिकायत को उचित प्राधिकारी के समक्ष उठाएगा।

यदि समिति जांच करने का निर्णय लेती है, तो वह प्राकृतिक न्याय और लिंग संवेदनशीलता के सिद्धांतों के अनुरूप प्रक्रियाओं का पालन करते हुए यौन उत्पीड़न की शिकायत की जांच करेगी।

1. जांच कार्यवाही के दौरान शिकायतकर्ता और/या उनके गवाहों और प्रतिवादी को अलग-अलग बुलाया जाएगा ताकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और भयमुक्त वातावरण सुनिश्चित किया जा सके।

2. जांच के दौरान शिकायतकर्ता को एक प्रतिनिधि के साथ आने की अनुमति होगी।

3. समिति जांच को यथासंभव न्यूनतम समय में, अधिमानतः शिकायत भेजे जाने की तारीख से तीन माह के भीतर, तथा उससे अधिक नहीं, पूरी करने का प्रयास करेगी।

4. शिकायत समिति द्वारा जांच कार्यवाही शुरू करने के एक सप्ताह के भीतर, समिति शिकायत का सारांश जैसे स्थान, दिनांक और समय जिस पर घटना घटित होने का आरोप है, युक्त एक दस्तावेज तैयार करेगी और उसे शिकायतकर्ता और प्रतिवादी को सौंप देगी। प्रतिवादी को यह सारी जानकारी निर्धारित प्रारूप में इस नीति के नियमों और प्रक्रियाओं की एक प्रति के साथ दी जाएगी। समिति प्रतिवादी को शिकायतकर्ता(ओं) द्वारा दर्ज की गई शिकायत(ओं) की एक सच्ची प्रति भी उपलब्ध कराएगी।

5. समिति को प्रतिवादी को उसके विरुद्ध लगाए गए आरोपों के भौतिक विवरण के बारे में लिखित रूप से सूचित करना चाहिए तथा उसे आरोप पत्र का जवाब देने के लिए 5 दिन का समय दिया जाना चाहिए।

6. समिति शिकायतकर्ता और प्रतिवादी को अपना मामला प्रस्तुत करने और बचाव करने के लिए उचित अवसर प्रदान करेगी।

7. जांच की प्रथम सूचना प्राप्त होने के पांच कार्य दिवसों के भीतर, शिकायतकर्ता और प्रतिवादी, समिति के संयोजक को लिखित रूप में उन गवाहों की सूची, उनके संपर्क विवरण सहित प्रस्तुत करेंगे , जिनकी वह समिति से जांच कराना चाहते हैं।

8. शिकायतकर्ता और प्रतिवादी समिति के समक्ष अपने गवाह पेश करने के लिए जिम्मेदार होंगे। हालांकि, अगर समिति का मानना है कि विवादों में से किसी भी पक्ष की अनुपस्थिति वैध आधार पर है, तो समिति समिति की उस विशेष बैठक को पांच दिनों से अधिक अवधि के लिए स्थगित कर देगी। इस तरह स्थगित की गई बैठक उसके बाद आयोजित की जाएगी, भले ही संबंधित व्यक्ति बिना किसी पूर्व सूचना/वैध आधार के उक्त स्थगित बैठक में उपस्थित होने में विफल हो।

9. समिति किसी भी व्यक्ति को गवाह के रूप में उपस्थित होने के लिए बुला सकती है यदि उसकी राय में ऐसा करना न्याय के हित में होगा।

10. समिति को जांच के तहत शिकायत से संबंधित किसी भी आधिकारिक कागजात या दस्तावेज को तलब करने का अधिकार होगा। समिति प्रतिवादी के खिलाफ पहले की किसी भी शिकायत को प्रासंगिक मान सकती है। हालांकि, शिकायतकर्ता के पिछले यौन इतिहास की जांच नहीं की जाएगी क्योंकि ऐसी जानकारी यौन उत्पीड़न की शिकायत के लिए अप्रासंगिक मानी जाएगी।

11. समिति को पूरक गवाही और/या स्पष्टीकरण के उद्देश्य से प्रतिवादी, शिकायतकर्ता और/या किसी भी गवाह को आवश्यकतानुसार कई बार बुलाने का अधिकार होगा।

12. प्रतिवादी, शिकायतकर्ता और गवाहों को जांच कार्यवाही की तिथि, समय और स्थान के बारे में लिखित रूप में कम से कम बहत्तर घंटे पहले सूचित किया जाएगा। गवाहों से बातचीत करने की जिम्मेदारी शिकायतकर्ता/प्रतिवादी की है।

13. यदि प्रतिवादी, बिना किसी वैध आधार के, जांच समिति द्वारा आयोजित लगातार तीन सुनवाइयों में उपस्थित होने में विफल रहता है, तो जांच समिति को जांच कार्यवाही समाप्त करने तथा शिकायत पर एकपक्षीय निर्णय देने का अधिकार होगा।

14. जांच के स्थान का चयन करते समय शिकायतकर्ता की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

15. यदि शिकायतकर्ता, प्रतिवादी या गवाह अपनी पसंद के किसी व्यक्ति के साथ समिति के समक्ष उपस्थित होना चाहते हैं, तो उन्हें समिति के संयोजक को उस व्यक्ति का नाम बताना होगा। ऐसे व्यक्ति को केवल पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त होगा और कार्यवाही के दौरान उसकी उपस्थिति केवल उस व्यक्ति की गवाही तक ही सीमित होगी जिसके साथ वह जा रहा है।

16. शिकायतकर्ता और सभी गवाहों की पहचान समिति द्वारा पूरी तरह सुरक्षित रखी जाएगी तथा गोपनीय रखी जाएगी।

17. शिकायतकर्ता(ओं) और प्रतिवादी, या उनकी ओर से किसी एक व्यक्ति को गवाहों के नाम और पहचान को छोड़कर रिकॉर्डिंग की लिखित प्रतिलिपि की जांच करने का अधिकार होगा। शिकायतकर्ता और/या प्रतिवादी द्वारा उनकी ओर से नामित कोई भी व्यक्ति केवल IIM रायपुर का सदस्य होगा। यौन उत्पीड़न का दोषी पाया गया कोई भी व्यक्ति नामांकित व्यक्ति के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। शिकायतकर्ता(ओं) और प्रतिवादी को समिति को विशेष रूप से सूचित करना चाहिए कि क्या वे इस अधिकार का प्रयोग करना चाहते हैं। हालाँकि, किसी भी समय, संबंधित पक्ष इन दस्तावेजों को यौन उत्पीड़न के खिलाफ समिति के कार्यालय के बाहर नहीं ले जा सकते हैं।

18. शिकायतकर्ता और प्रतिवादी को सभी गवाहों से जिरह करने का अधिकार होगा। हालाँकि, ऐसी जिरह केवल समिति के माध्यम से लिखित प्रश्नों और उत्तरों के रूप में की जाएगी। प्रतिवादी को सीधे शिकायतकर्ता या उसके गवाहों से जिरह करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

19. प्रतिवादी/शिकायतकर्ता समिति को लिखित रूप में प्रश्नों की सूची प्रस्तुत कर सकता है, जो वह शिकायतकर्ता/गवाह से पूछना चाहता है। समिति को ऐसे किसी भी प्रश्न को अस्वीकार करने का अधिकार होगा, जिसके बारे में उसे विश्वास हो कि वह अप्रासंगिक, शरारती, बदनामी करने वाला, अपमानजनक या लिंग-असंवेदनशील है। प्रतिवादी या उसके नामित व्यक्ति की ओर से कोई भी व्यवहार, मौखिक या अन्यथा, जो शिकायतकर्ता या उसके गवाहों को डराने या मानसिक और शारीरिक आघात पहुँचाने के लिए किया गया हो, समिति को प्रतिवादी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश करने के लिए प्रेरित कर सकता है।

20. समिति की सभी कार्यवाही लिखित रूप में दर्ज की जाएगी। कार्यवाही का रिकॉर्ड और गवाहों के बयान को संबंधित व्यक्तियों द्वारा प्रामाणिकता के प्रतीक के रूप में पृष्ठांकित किया जाएगा।

21. समिति द्वारा सुनवाई किए जाने वाले सभी व्यक्ति, साथ ही पर्यवेक्षक/नामांकित व्यक्ति, शिकायतकर्ता और प्रतिवादी की गरिमा की रक्षा के लिए कार्यवाही के बारे में गोपनीयता की शपथ लेंगे और उसका पालन करेंगे। गोपनीयता की शपथ का कोई भी उल्लंघन दंड का कारण बन सकता है।

    अपवाद: शिकायतकर्ता को यौन उत्पीड़न की शिकायत के बारे में सार्वजनिक रूप से बताने का अधिकार है, अगर वह ऐसा चाहती है। अगर शिकायतकर्ता यौन उत्पीड़न के खिलाफ़ समिति के पास शिकायत दर्ज करने से पहले सार्वजनिक रूप से बताती है, तो इससे समिति के सदस्यों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक बार समिति को शिकायत दे दिए जाने के बाद, शिकायतकर्ता को अधिमानतः जांच पूरी होने तक सार्वजनिक रूप से नहीं बताना चाहिए, जब तक कि उसके पास ऐसा करने के लिए बाध्यकारी कारण न हों।

22. समिति के सदस्य अपने द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में गोपनीयता बनाए रखेंगे।

23. यदि शिकायतकर्ता साक्ष्य के रूप में कोई दस्तावेज प्रस्तुत करना चाहता है, तो समिति प्रतिवादी को ऐसे दस्तावेजों की सत्य प्रतियां उपलब्ध कराएगी। इसी प्रकार, यदि प्रतिवादी साक्ष्य के रूप में कोई दस्तावेज प्रस्तुत करना चाहता है, तो समिति शिकायतकर्ता को ऐसे दस्तावेजों की सत्य प्रतियां उपलब्ध कराएगी।

24. यदि समिति को लगता है कि पूरक गवाही की आवश्यकता है, तो समिति का संयोजक संबंधित व्यक्तियों को कार्यवाही का सारांश भेजेगा तथा समिति को व्यक्तिगत रूप से या लिखित रूप में ऐसी गवाही प्रस्तुत करने के लिए सात दिनों की समयावधि देगा।

25. शिकायत समिति को किसी भी नए तथ्य या साक्ष्य का संज्ञान लेने से कोई नहीं रोकता है जो जांच कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान उत्पन्न हो सकता है या उसके समक्ष लाया जा सकता है। यदि जांच रिपोर्ट को उचित अनुशासनात्मक प्राधिकारी को प्रस्तुत करने के बाद यौन उत्पीड़न के विरुद्ध

समिति के संज्ञान में कोई नया तथ्य या साक्ष्य लाया जाता है, तो पुनः गठित जांच समिति के गठन की स्थिति में, वर्तमान समिति के कम से कम आधे सदस्य वे होंगे जिन्होंने मूल रूप से उक्त शिकायत की जांच की थी।

26. समिति यौन उत्पीड़न की गुप्त, निजी और कपटी प्रकृति के प्रति संवेदनशील होगी तथा इस बात को ध्यान में रखेगी कि प्रायः पीड़ित महिला प्रत्यक्ष या पुष्टिकारक साक्ष्य प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं होती है।

27. समिति पीड़ित महिला के चरित्र, व्यक्तिगत जीवन, आचरण, व्यक्तिगत और यौन इतिहास के आधार पर किसी भी साक्ष्य या परीक्षण की अनुमति नहीं देगी।

28. समिति साक्ष्यों का मूल्यांकन करते समय पक्षों की संबंधित सामाजिक-आर्थिक स्थिति, संबंधित संगठन/कार्यस्थल में उनके पदानुक्रम, नियोक्ता-कर्मचारी समीकरण और अन्य शक्ति अंतरों को ध्यान में रखेगी।

29. समिति शिकायतकर्ता/शिकायतों को सूचित करेगी कि वह अपना साक्ष्य लिखित रूप में दे सकती है, बशर्ते कि वह प्रतिवादी द्वारा परीक्षण के लिए स्वयं को उपलब्ध कराए, जब तक कि यौन उत्पीड़न की कथित पीड़िता मौखिक रूप से अपना साक्ष्य देने का विकल्प नहीं चुनती।

30. समिति शिकायतकर्ता/शिकायतों को सूचित करेगी कि वह जिरह के दौरान जांच कार्यवाही में संवेदनशील प्रकृति के प्रश्नों के उत्तर लिखित रूप में दे सकती है।

31. यौन उत्पीड़न की शिकायत की जांच और जांच के दौरान प्राप्त सभी जानकारी संबंधित यौन उत्पीड़न विरोधी समिति द्वारा ट्रस्ट में रखी जाएगी और उसे सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आवेदन के बाद उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। ऐसी जानकारी सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8 (ई) के तहत अपवाद होगी , क्योंकि उसे यौन उत्पीड़न विरोधी समिति द्वारा एक भरोसेमंद रिश्ते में रखा जाता है और उसका खुलासा न करना सार्वजनिक हित के खिलाफ नहीं होगा। इसके विपरीत ऐसी जानकारी का खुलासा शिकायतकर्ता या किसी गवाह के जीवन या शारीरिक सुरक्षा को खतरे में डाल सकता है। इस नियम का अपवाद तब होगा जब शिकायतकर्ता खुद सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना के लिए आवेदन करेगी।

जांच 90 दिनों के भीतर पूरी की जानी चाहिए: जांच शुरू होने की तारीख से 90 दिनों की अवधि के भीतर जांच पूरी कर ली जाएगी और जांच रिपोर्ट यौन उत्पीड़न विरोधी समिति को प्रस्तुत की जाएगी। जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने में किसी भी देरी की स्थिति में इसके कारणों को लिखित रूप में दर्ज किया जाएगा।

रिपोर्ट का निपटान:

a) अपनी जांच पूरी करने के बाद, समिति अपने निष्कर्षों की एक विस्तृत और लिखित रिपोर्ट तैयार करेगी। जांच रिपोर्ट में प्रतिवादी के खिलाफ लगाए गए आरोपों, जांच में दिए गए बयानों और प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों का ब्यौरा और उन कारणों की चर्चा होगी जिनके आधार पर समिति ने निष्कर्ष निकाला है।

b) शिकायतकर्ता या प्रतिवादी के कार्य और व्यवहार के संबंध में कोई भी ऐसी टिप्पणी नहीं की जाएगी जो यौन उत्पीड़न के कथित कृत्य से संबंधित न हो।

c) इस प्रकार तैयार की गई विस्तृत लिखित रिपोर्ट 90 दिनों के भीतर आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए निदेशक, आईआईएम रायपुर को प्रस्तुत की जाएगी।